

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2022/517

अदालत..... मुकाम.....
उत्तर 5/0 श्री जी माली..... गांधी 5/0 पुरनमल जी
नि० = रानीखेड़ा, त० = निम्बाहेड़ा वनाम नि० = चौदखेड़ा, त० = निम्बाहेड़ा
किस्मा मुकदमा..... नं..... सन्.....

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 26.5.22 | <p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण उपरो वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि वाके मौजा मडडा गुलफरोशन पटवार हल्का रानीखेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा खाता सं 27 आराजी न० 316 रकबा 0.1300 हे०, आराजी न 317 रकबा 0.1200 हे०, आराजी न० 338 रकबा 0.4200 हे०, आराजी न० 339 रकबा 0.2400 हे०, आराजी न० 353 रकबा 0.3400 हे०, आराजी न० 545 रकबा 1.0500 हे० आराजी न० 547 रकबा 0.7700 हे०, आराजी न० 548 रकबा 0.0100 हे० आराजी न० 549 रकबा 0.4200 हे० आराजी न० 599 रकबा 1.2700 कुल कित्ता 10 रकबा 4.7700 हे० स्थित है । भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें तहसीलदार निम्बाहेड़ा को हुक्मनामा/ आदेश जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो</p> | |